30-622 पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र पर ओथ कमिश्नर की सील लगी हुयी है, लेकिन इसमें कुछ भी अंकित किया हुआ नहीं है। खाली सील लगी हुयी है। शपथ पत्र पर हस्ताक्षर विशाली है, लेकिन किसके हस्ताक्षर विशाली है, इसका कोई उल्लेख नहीं है एवं न ही किसी के द्वारा सत्यापित है। धारा 15 लिमिटेशन एक्ट प्रा. पत्र किसी किसी दिनांक के प्रस्तुत किया हुआ है। विपक्षी को जारी नवली नोटिस के साथ प्रार्थना पत्र की प्रति भी प्रेषित नहीं की गयी जबकि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नवली नोटिस के साथ अधूरी प्रति (मात्र 3 पेज) ही संलग्न किये गये।

इस प्रकार प्रार्थी के प्रा. पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 C.P.C. के तहत पेश किया गया है, वह दुर्भावना C.P.C. के नियमों की उल्लंघना करते हुए, विधि विरुद्ध एवं असत्य तरीके से पेश किया गया है जो प्रार्थी का कानून एवं न्यायालय के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. असत्य एवं विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नंबर के कर दें।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा